वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 05.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट, राष्ट्रीय सहारा, परफेक्ट मिशन, तरुणमित्र न्यूज़, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 05.12.2024

शमन शुल्क जमा नहीं करने वालों पर करें कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए सभागार में बुधवार को अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने शमन मानचित्रों की समीक्षा की। कहा कि शमन पत्रावली की स्वीकृति के बाद शमन शुल्क जमा न करने वालों पर कार्रवाई करें। सील हुए अवैध निर्माणों की जांच करने के साथ बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जन शिकायतों का निस्तारण एक सप्ताह में करें। शहर में हो रहे अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करें। ब्यूरो

अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए ने बुधवार को एक अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई और एक अवैध निर्माण सील किया। दशाश्वमेध वार्ड के अजित सिंह की ओर से अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करवाई। उधर कोतवाली वार्ड के राजीव अग्रवाल ने चौवारगली कालभैरव में बगैर नक्शा पास कराए निर्माण करा रहे थे। इसे सील किया गया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 05.12.2024

जियोट्रिक्स सॉफ्टवेयर से पकड़े 6 अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए ने बुधवार को जियोट्रिक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से छह अवैध निर्माणों को पकड़ा गया। सैटेलाइट डेटा की मदद से शिवपुर के पहाड़पुर बिरापट्टी में दो बड़े अवैध निर्माण मौके पर बंद करते हुए नोटिस जारी किया गया। कोईराजपुर में व्यावसायिक निर्माण पर नोटिस दिया गया। आदमपुर पुराने पुल के पास एक बड़ा नवनिर्माण शुरू हुआ था। इसे नोटिस देते हुए सील किया गया। सारनाथ वार्ड के सरिता मैरिज लॉन में अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसे नोटिस दिया गया। दशाश्वमेध के हरदतपुर में व्यवसायिक निर्माण को नोटिस दिया गया। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 05.12.2024

बिना नक्शा पास कराए संचालित 21 होटलों व गेस्ट हाउसों के खिलाफ होगी कार्रवाई

जेपी पांडेय • जागरण

वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए और आवेदन करने के बाद होटल व गेस्ट हाउस का लाइसेंस नहीं कराने पर जिला प्रशासन ने नौ नवंबर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है। जिला प्रशासन ने अवैध तरीके से संचालित 21 होटल और गेस्ट हाउस की नाम के साथ सूची वीडीए को भेजी है। इन सभी को बंद करने का आदेश जारी है, फिर भी मनमाने तरीके से संचालित कर रहे हैं। पुलिस को कार्रवाई करने के लिए पहले ही सूची भेजी जा चुकी है, इनमें कुछ के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा भी दर्ज है। इन होटल व गेस्ट हाउस में ठहरने वाले पर्यटकों के साथ कोई दुर्घटना होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

काशी में रोज हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ये पर्यटक शहर के विभिन्न होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे और पेईंग गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। पक्के महाल क्षेत्र में हालत यह है कि हर चौथा मकान गेस्ट हाउस हो गया है या तोड़कर उसे बनाया जा रहा है। शहर में पांच सौ से अधिक होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे और पेईंग गेस्ट हाउस बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं, फिर भी जिला प्रशासन और पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है। पर्यटन विभाग की स्थिति और खराब है।

कहने को पर्यटन विभाग है पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर कोई लेना-देना नहीं है। बस एक ही जवाब होता है कि कार्रवाई को प्रशासन और पुलिस को करनी चाहिए। सवाल उठता है कि सराय एक्ट में पंजीयन करने से पहले पर्यटन विभाग अपनी अनापत्ति प्रमाणपत्र क्यों देता है। इसका जवाब उसके पास नहीं है। अब प्रशासन ने वीडीए से कार्रवाई करने को कहा है।

इनके खिलाफ कार्रवाई को लिखा पत्र : होटल सत्कार (डाफी), होटल शिव प्रताप इन, होटल नंदनी पैलेश, होटल कृष्णा इन (परेड कोठी), होटल वृंदा इन (सुभाष नगर, मलदहिया), होटल ब्लू स्टार (सारनाथ), एमजेएसी मैरिज हाल (लल्लापुरा), होटल डीसी ग्रैंड (सिगरा), एसडीएम गेस्ट हाउस व बैंक्वेट हाल (तरना), राजधानी गेस्ट हाउस (इंग्लिशिया लाइन), सिटी गार्डेन (अंधरापुल), आरडी पैलेस (कमच्छा), होटल एआर पैलेस (तेलियाबाग), सूर्योदय गेस्ट हाउस (रामापुरा), शिवपुर सेलिब्रेशन मैरिज लान (शिवपुर रेलवे क्रासिंग), होटल संध्या सिटी इन (छित्तपुर), ओम मैरिज लान (ओम नगर कालोनी, सोयेपुर) लक्ष्मी वाटिका (नगवां), होटल स्वंयर (लंका), न्यू सूर्योदय गेस्ट हाउस (लक्ष्मणपुर), होटल विजय इन (शिवदासपुर)।

- जिला प्रशासन ने विकास प्राधिकरण को नाम सहित भेजी सूची
- यहां ठहरे पर्यटकों के साथ दुर्घटना से नहीं किया जा सकता है इन्कार
- पर्यटन देता है एनओसी लेकिन कार्रवाई से कोसों दूर
- शहर में अवैध तरीके से संचालित हो रहे पांच सौ से अधिक प्रतिष्ठान

"जिला प्रशासन की ओर से आए पत्र को गंभीरता से लिया गया है। सभी होटल व गेस्ट हाउस और मैरिज लान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया है। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है।

-डा. वेद प्रकाश मिश्रा, सचिव, वीडीए।

दैनिक जागरण–दि0 05.12.2024

निरीक्षण में आवासीय भवन मिले व्यावसायिक

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा ने बुधवार को आजमगढ़ मार्ग पर निर्माणाधीन भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया। कुल 23 स्थानों पर निरीक्षण के दौरान पाया कि आवासीय भवनों में व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। निर्माणाधीन भवनों का काम बंद कराने के साथ शमन मानचित्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

जोनल अधिकारी संजीव ने बताया कि सड़क के दोनों तरफ निर्माणाधीन भवन स्वामियों को मौखिक शमन मानचित्र दाखिल करने को कहा गया। एक सप्ताह के अंदर दाखिल नहीं करने पर नोटिस जारी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अवर अभियंता विनोद कुमार, वर्तिका दुबे शामिल थीं।

चार मंजिला अवैध निर्माण सील

जासं, वाराणसी : विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा के निर्देश पर अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति ने बताया कि कोतवाली वार्ड के कालभैरव में राजीव अग्रवाल अवैध तरीके से चार मंजिल निर्माण कर रहे थे। उसे सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। उधर, दशाश्वमेध वार्ड के गंजारी में अजित सिंह अवैध तरीके से छह बीघा में अवैध प्लाटिंग कर रहे थे। बाउंड्री को बुलडोजर से तोड़ दिया गया।

दैनिक जागरण–दि0 05.12.2024

सैटेलाइट से अवैध निर्माण चिह्नित कर थमाया नोटिस

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दिया है। सैटेलाइट के जरिए अवैध निर्माण चिह्नित करने के साथ भवन स्वामी को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि शिवपुर वार्ड में पहाड़पुर बिरापट्टी में दो बड़े अवैध निर्माण चिह्नित करने हुए बंद कराया गया। इसी तरह कोईराजपुर में व्यवसायिक निर्माण पर भवन स्वामी को नोटिस भेजा है। आदमपुर वार्ड के पुराने पुल के पास एक बड़ा निर्माण सील किया गया। सारनाथ वार्ड के सरिता मैरिज लान और दशाश्वमेध वार्ड के हरदतपुर में व्यावसायिक निर्माण को नोटिस जारी किया।

दैनिक जागरण आईनेक्टस–दि0 05.12.2024

सैटेलाइट से चिह्नित कर थमाया नोटिस

VARANASI: अवैध निर्माण करते वालों के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दिया है. सैटेलाइट के जरिए अवैध निर्माण चिह्नित करने के साथ भवन स्वामी को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया कि शिवपुर वार्ड में पहाड़पुर बिरापट्टी में दो बड़े अवैध निर्माण को बंद कराया गया. कोईराजपुर में निर्माण पर भवन स्वामी को नोटिस भेजा है. आदमपुर वार्ड के पुराने पुल के पास एक बड़ा निर्माण सील किया गया. सारनाथ के सरिता मैरिज लान, दशाश्वमेध नोटिस जारी किया.

राष्ट्रीय सहारा–दि0 05.12.2024

मानचित्र प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कार्यशाला

वाराणसी। वीडीए में नगर नियोजक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश के विकास अधिकार तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के फ्रेमवर्क की ऑन-लाईन स्वीकृति के लिए विकसित किये जा रहे फास्ट एंड सिंपलफाइड ट्रस्ट बेस्ड प्लान अप्रूवल सिस्टम (एफएएसटीपीएएस) के संबंध में विकास प्राधिकरणों और उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के अंतर्गत भवनों/भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है। इसके तहत सिंगल विंडो पोर्टल की सुविधा प्रदान की जाएगी। कार्यशाला में सेवाप्रदायक संस्था मैसर्स एबीएम नॉलेजवेयर लिमिटेड के प्रतिनिधि विरेश गुप्ता और अनीस भूषण ने मानचित्र स्वीकृति के संबंध में प्रचलित व्यर्वस्था की जानकारी दी और अब तक विकसित किये गए मड्यूल्स पर फीडबैक प्राप्त किया। बैठक के दौरान आर्किटेक्ट आरसी जैन, आर्किटेक्ट कुनाल कालड़ा व विभागीय नियोजन के कर्मचारी उपस्थित रहें।

छह बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए के जोन तीन की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। वार्ड दशाश्वमेध, थाना-जंसा के अंतर्गत अजित सिंह कॉलोनाइजर की तरफ से मौजा-गंजारी, जिला-वाराणसी में लगभग छह बीघा में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। अवैध निर्माण को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। उधर, कोतवाली के अंतर्गत राजीव अग्रवाल ने चौवारगली (कालभैरव) में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर किये जा रहे जी+तीन के अवैध निर्माण को सील कर थाना-कोतवाली की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 05.12.2024

बेसमेंट में पॉर्किंग और शमन मानचित्रों को लेकर समीक्षा

वाराणसी। वीडीए में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने जोन-एक व जोन-दो की समीक्षा बैठक में लंबित शमन मानचित्रों की समीक्षा की। सील प्रकरणों की जांच एवं बेसमेंट खाली करा पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। शहर में अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिह्नांकन कर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिया गया है। जोन-एक के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत 24 नवम्बर से 30 नवम्बर 2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु. 23,58,972 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु. 6,54,17,564 जमा करायी गयी है एवं जोन-दो के वार्ड-सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास में शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु. 36,09,548 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु. 6,65,97,101 जमा करायी गयी है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 05.12.2024

अपर सचिव ने 23 निर्माण स्थलों का किया निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने जोन-दो के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता वर्तिका दुबे एवं प्रवर्तन दल के साथ वार्ड सारनाथ क्षेत्रांतर्गत पाण्डेयपुर से आजमगढ़ रोड पर प्राधिकरण सीमा तक रोड के दोनों तरफ कई प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत कुल 23 स्थलों/निर्माणों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रश्नगत स्थलों के भवन स्वामियों की तरफ से आवासीय एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्माण किया जा रहा था। निर्माणाधीन निर्माणों को रोकवाते हुए जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त हो रहे अनाधिकृत निर्माणों के शमन आवेदन जमा कराते हुए प्राथमिकता पर शमन कराना सुनिश्चित करें।

कई अवैध निर्माणों के खिलाफ हुई कार्रवाई

वाराणसी। विकास प्राधिकरण की तरफ से इंफोसमिट जियोट्रिक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से नवनिर्माणों की निगरानी की जा रही है। उक्त निगरानी व्यवस्था में सैटेलाइट डाटा के माध्यम से नए निर्माणों का चिह्नांकन करने के सहित उनकी निगरानी की व्यवस्था की गयी है। सैटेलाइट डाटा के माध्यम से नए निर्माणों को चिह्नांकन करते हुए नोटिस की कार्यवाही की गयी। जोन-एक शिवपुर वार्ड के अंतर्गत एक समूह आवास एवं एक व्यावसायिक निर्माण पाया गया जिसका मानचित्र स्वीकृत पाया गया। जोन-एक शिवपुर वार्ड के अंतर्गत पहाड़पुर बिरापट्टी में दो बड़े अवैध निर्माण मौके पर बंद करते हुए नोटिस जारी किया गया। जोन-एक शिवपुर वार्ड के अंतर्गत कोईराजपुर में व्यावसायिक निर्माण पर नोटिस की कार्रवाई। जोन-दो के अंतर्गत आदमपुर पुराने पुल के पास एक बड़ा नवनिर्माण प्रारंभ हुआ था जिसे नोटिस की कार्यवाही करते हुए सील किया गया। जोन-दो सारनाथ वार्ड के अंतर्गत सरिता मैरिज लॉन में अवैध निर्माण किया जा रहा था, उक्त अवैध निर्माण पर नोटिस की कार्यवाही की गई। जोन-तीन दशाश्वमेध वार्ड के अंतर्गत हरदासपुर में व्यावसायिक निर्माण पर नोटिस की कार्यवाही किया गया।

> जियोट्रिक्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर चिह्नित किए जा रहे अवैध निर्माण

परफेक्ट मिशन–दि0 05.12.2024

वीडीए अपर सचिव ने शमन मानचित्रों की प्रकरणवार की समीक्षा

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश के क्रम में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 24.11.2024 से 30.11.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 23,58,972.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,54,17,564.00 जमा करायी गयी है एवं जोन-2, के वार्ड-सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास में दिनांक 24.11.2024 से दिनांक 30.11.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0-36,09,548.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,65,97,101.00 जमा करायी गयी है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है।

साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपे गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 05.12.2024

वीडीए के अपर सचिव ने निरीक्षण कर शमन आवेदन जमा कराने के दिये निर्देश

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशों के क्रम में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-2 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता विनोद कुमार, अवर अभियन्ता वर्तिका दुबे एवं प्रवर्तन दल के साथ वार्ड सारनाथ क्षेत्रांतर्गत पाण्डेयपुर से आजमगढ़ रोड पर प्राधिकरण सीमा तक रोड के दोनों तरफ निम्न प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिसके अन्तर्गत कुल 23 स्थलों/निर्माणों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रश्नगत स्थलों के भवन स्वामियों द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्माण किया जा रहा था। निर्माणाधीन निर्माणों को रुकवाते हुए जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त हो रहे अनाधिकृत निर्माणों के शमन आवेदन जमा कराते हुए प्राथमिकता पर शमन कराना सुनिश्चित करें।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 05.12.2024

वाविप्रा में कार्यशाला में मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्था की दी जानकारी

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में नगर नियोजक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में 4 दिसम्बर को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश के विकास अधिकार तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के फ्रेमवर्क की ऑन-लाईन स्वीकृति हेतु विकसित किये जा रहे फास्ट एंड सिंपलफाइड, ट्रस्ट बेस्ड प्लान अप्रूवल सिस्टम (एफएसटीपीएएस) के सम्बन्ध में। विकास प्राधिकरणों और उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के अंतर्गत भवनों/भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है। इसके तहत सिंगल विंडो पोर्टल की सुविधा प्रदान की जाएगी। कार्यशाला में सेवाप्रदायक संस्था मैसर्स एबीएम नॉलेजवेयर लिमिटेड के प्रतिनिधि विरेश गुप्ता और अनीस भूषण ने मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्था की जानकारी दी और अब तक विकसित किये गए मड्यूल्स पर फीडबैक प्राप्त किया। इस प्रक्रिया के माध्यम से भवन और भूखंडों के मानचित्रों की स्वीकृति में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। बैठक के दौरान आर्किटेक्ट आर.सी जैन, आर्किटेक्ट कुनाल कालड़ा व विभागीय नियोजन के कर्मचारी उपस्थित रहें।

अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-कोतवाली के अन्तर्गत राजीव अग्रवाल द्वारा चौवारगली (कालभैरव) में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर किये जा रहे जी+3 के अवैध निर्माण को आज दिनांक 04.12.2024 को सील कर थाना-कोतवाली की अभिरक्षा में सौप दिया गया।इस दौरान जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियंता रोहित कुमार मौजूद रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 05.12.2024

वाविप्रा जोन-3 द्वारा अवैध प्लाटिंग को कराया गया ध्वस्त

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-दशाश्वमेध, थाना- जंसा के अन्तर्गत अजित सिंह प्लाटिंगकर्ता द्वारा मौजा-गंजारी, जिला-वाराणसी में लगभग 6 बीघा में अवैध प्लाटिंग किये जा रहे थे, अवैध निर्माण को आज 04 .12 .2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियंता रोहित कुमार प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 05.12.2024

अनधिकृत निर्माणों को वाविप्रा ने रोका

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम में दिनांक 04.दिसम्बर को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, सुश्री वर्तिका दुबे एवं प्रवर्तन दल के साथ वार्ड सारनाथ क्षेत्रांतर्गत पाण्डेयपुर से आजमगढ़ रोड पर प्राधिकरण सीमा तक रोड के दोनों तरफ निम्न-प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 23 स्थलों/निर्माणों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रश्नगत स्थलों के भवन स्वामियों द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्माण किया जा रहा था। निर्माणाधीन निर्माणों को रुकवाते हुए जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त हो रहे अनधिकृत निर्माणों के शमन आवेदन जमा कराते हुए प्राथमिकता पर शमन कराना सुनिश्चित करें।